राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2808/2025

कमलेश कुमार मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर।
4. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति तुंगा, जिला जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.05.2025
आदेश की दिनांक : 09.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रामाकान्त गौतम, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, तुंगा, जिला जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 12.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी को मूल पदस्थापन स्थान ग्राम पंचायत, कासीर पंचायत समिति अराई, जिला अजमेर के लिये आदेशित किया गया और आदेश दिनांक 14.05.2025 के द्वारा उक्त स्थान के लिये उपस्थिति हेतु कार्यमुक्त किया गया है। उनका तर्क है कि आदेश दिनांक 16.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ हेतु पंचायत समिति, तुंगा, जयपुर लगाया गया था। परंतु 5 माह के अंतराल में ही अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति को

निरस्त कर दिया गया जबकि प्रतिनियुक्ति की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होती है, परंतु अपीलार्थी को उससे पूर्व ही कार्यमुक्त कर दिया गया जो नियम विरूद्ध है। इस प्रकार जारी किया गया आलोच्य आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.05.2025 एवं 14.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाये जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, तुंगा, जिला जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 12.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी को मूल पदस्थापन स्थान ग्राम पंचायत, कासीर पंचायत समिति अराई, जिला अजमेर के लिये आदेशित किया गया और आदेश दिनांक 14.05.2025 के द्वारा उक्त स्थान के लिये उपस्थिति हेतु कार्यमुक्त किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 12.05.2025 के द्वारा मूल पदस्थापन स्थान अराई, अजमेर के लिये आदेशित किया जाना तथा आदेश दिनांक 14.05.2025 के द्वारा उक्त स्थान के लिये उपस्थिति हेतु कार्यमुक्त किये जाने का प्रश्न है, उक्त दोनों आलोच्य आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ मात्र लगाया गया था, जिसे प्रतिनियुक्ति नहीं कहा जा सकता और अपीलार्थी को नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य